न्यायालय ए0सी0जे0एम0 बॉसगॉव–गोरखपुर।
क्रिमिनल केस संख्या– 511/2010
एन0सी0आर0 संख्या–154/2007
थाना– बॉसगॉव
धारा– 323,504,506 भा0द0वि0
जनपद–गोरखपुर।
राज्य––––बनाम––––––सिड्डू वगैरह

आरोप

मैं नितेश कुमार सिन्हा, ए0सी0जे0एम0 बॉसगॉव–गोरखपुर आप अभियुक्तगण सिड्डू, मंगरू, संजय को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँः–

प्रथमः– यह कि दिनांक 24–08–2007 को समय 20.00 बजे बहद सीान ग्राम–बधैला पेश दरवाजा वादी, थाना–बॉसगॉव, जनपद–गोरखपुर की सीमा में आप लोगो ने वादिनी मुकदमा श्रीमती संगीता के पति गुड्डू प्रसाद को जमीन की रंजिश को लेकर लाठी–डण्डा व लात–मुक्का से मारे–पीटे तथा साधारण चोटे पहुॅचायी। इस प्रकार आप लोगों का उपरोक्त कृत्य भा0द0वि0 की धारा–323 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादिनी मुकदमा उपरोक्त को तथा उसके पति को गाली–गुप्ता देकर अपमानित किये। इस प्रकार आप लोगों का उपरोक्त कृत्य भा0द0वि0 की धारा–504 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादिनी मुकदमा उपरोक्त को तथा उसके पति को जान से मारने की धमकी देकर उसे भयभीत किये। इस प्रकार आप लोगों का उपरोक्त कृत्य भा0द0वि0 की धारा–506 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप लोगों को निर्देशित किया जाता है कि आप लोगों का विचारण उपर्युक्त आरोप के तहत किया जाएगा।

नितेश कुमार सिन्हा
दिनांक 03–12–2020 ए0सी0जे0एम0, बॉसगॉव–गोरखपुर।

उपर्युक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने अपने विरुद्ध लगाए गए आरोप से इन्कार किया व विचारण की याचना किये।

नितेश कुमार सिन्हा
दिनांक 03–12–2020 ए0सी0जे0एम0, बॉसगॉव–गोरखपुर।